

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1482/2012/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शक्ति ट्रेडर्स, जय मार्ग, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पंकज घीया, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) द्वारा अपील संख्या 175/RVAT/2010-11/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.12.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सीमेन्ट का व्यवसाय किया जाता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 के दौरान रूपये 5,39,86,168/- की खरीद किया जाना दर्शाते हुए इस पर चुकाये गये वेट रूपये 67,48,271/- की आई.टी.सी. क्लेम की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2009 को पारित करते हुए उक्त आई.टी.सी. स्वीकृत की गयी। तत्पश्चात् जांच की जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के व्यापार खाते में रूपये 4,95,34,018/- की खरीद दर्शाई गई है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा रूपये 44,52,150/- की खरीद कम किया जाना तथा उक्त राशि पर आई.टी.सी. प्राप्त किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 26 व 55 के तहत आदेश दिनांक 29.10.2010 पारित करते हुए उक्त कम दर्शाई गई राशि पर कर व ब्याज के रूप में रूपये 8,38,673/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।



लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा अपने व्यापार खाते में रुपये 4,95,34,018/- की खरीद किया जाना दर्शाया गया, किन्तु नियमित कर निर्धारण के वक्त रुपये 5,39,86,168/- की खरीद किया जाना दर्शाते हुए आई.टी.सी. क्लेम की गयी थी। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर राशि पर कर व ब्याज का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी को उसके विक्रेता व्यवहारियों से रुपये 20,89,047/- का ट्रेड डिस्काउण्ट प्राप्त हुआ था तथा रुपये 23,63,102/- की राशि लेबर चार्ज, लोकल कार्टेज व भाड़ा राशि की थी, जो कि क्रेता व्यवहारियों द्वारा वहन किये जाने के कारण बिल राशि में से कम की गयी थी। अतः उक्त दोनों राशियों को विक्रय राशि में से कम करते हुए आई.टी.सी. को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। उक्त दोनों राशियों पर क्लेम की गई आई.टी.सी. पूर्णतया विधिसम्मत थी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में विवाद केवलमात्र यह है कि व्यवहारी द्वारा नियमित कर निर्धारण के समय अपनी लेखा-पुस्तकों में रुपये रुपये 5,39,86,168/- की खरीद किया जाना दर्शाते हुए आई.टी.सी. क्लेम की गयी, जबकि व्यापार खाते में रुपये 4,95,34,018/- की खरीद किया जाना दर्शाया गया। इस प्रकार रुपये 44,52,150/- की खरीद कम किया जाना दर्शाया गया। इस सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा यह बताया गया था कि उक्त राशि में से रुपये 20,89,047/- का ट्रेड डिस्काउण्ट प्राप्त हुआ था तथा रुपये 23,63,102/- की राशि लेबर चार्जेज, लोकल कार्टेज व भाड़ा राशि की थी, अतः उक्त दोनों राशियों को आई.टी.सी. के सन्दर्भ में कुल खरीद में से कम नहीं किया जा सकता।



7. इस सम्बन्ध में यह निर्विवादित है कि ट्रेड डिस्काउण्ट के मामलों में दिनांक 09.03.2011 के पूर्व आई.टी.सी. का क्लेम रिवर्स नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त जालौर बनाम रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी (2013) 37 टैक्स अपडेट 187 एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बी, उदयपुर (2012) 33 टैक्स अपडेट 198 में यह निर्णय किया जा चुका है कि दिनांक 09.03.2011 से पूर्व विक्रय मूल्य से अधिक क्रय मूल्य पर आई.टी.सी. कम नहीं की जा सकती। हस्तगत प्रकरण कर निर्धारण वर्ष 2006-07 की अवधि से सम्बन्धित है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की खरीद राशि पर प्राप्त क्रेडिट नोट की राशि पर आई.टी.सी. कम करते हुए करारोपण किया गया है। दिनांक 09.03.2011 के पूर्व ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि किसी भी व्यवहारी को उसके आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स की राशि अधिक होने की स्थिति में आउटपुट टैक्स के बराबर ही आई.टी.सी. देय होगी। प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिभाषक का यह कथन उचित है कि व्यवहारी द्वारा जो डिस्काउण्ट प्राप्त किया गया है वह विक्रेता व्यवहारियों से प्राप्त किया गया है तथा इसका विक्रय मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में उसके आई.टी.सी. को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी को जो डिस्काउण्ट, उसके विक्रेता व्यवहारी से प्राप्त हुआ है, उसमें वेट राशि को कम नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी से उसके विक्रेता व्यवहारियों द्वारा जो वेट वसूल किया गया था वह नियमानुसर राजकोष में जमा करवाया हुआ है।
8. इसी प्रकार रूपये 23,63,102/- की राशि लेबर चार्ज, लोकल कार्टेज एवं भाड़ा राशि की बताई गई है, जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के क्रेता व्यवहारियों द्वारा वहन की जाने के कारण विक्रय इन्वॉयस से कम की गयी है। इस प्रकार उक्त राशि पर भी आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व ब्याज को अपास्त किया गया है, जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है।
9. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य